

वकालत नामा

तारीख पेशी

मुकद्दमा नम्बर.....

सेवा में, श्री _____

बनाम

मैं/हम _____

उपरोक्त मुकद्दमे में अपनी ओर से

श्री

को वकील नियुक्त करता हूं/करते हैं उनको मेरी/हमारी तरफ से नीचे लिखे खास अधिकार होंगे दावा, जवाब दावा जवाबल जवाब, अपील, क्रॉस ऑब्जेक्शन, दरख्वास्त, निगरानी, नजरसानी, दरख्वास्त, इजराय, इस्तगासा, उजरदारी इत्यादि अपने दस्तखत कर प्रस्तुत करना व इससे संबंधित दूसरी दरख्वास्ते मुकद्दमा अदम पैरवी में व इकतरफा होने पर बरामदगी की दरख्वास्त व इकतरफा मन्सुखी की दरख्वास्त, दस्तावेज प्रस्तुत करना व वापस लेना, रकम जमा कराने की दरख्वास्त करना, न्यायालय से रकम वापिस लेना व राजीनामा करना व अपने हस्ताक्षर से राजीनामा प्रस्तुत करना व मुकद्दमे को वापस लेना व विशेष शपथ द्वारा मुकद्दमे का निर्णय करने के लिए पंच नियुक्त करना व मेरी तरफ से आर्डर 10 जाब्ता दिवानी के अनुसार बयान देना व मुकद्दमे की पैरवी एकट प्लीड करना व करने के लिए दूसरे वकील को नियुक्त करना व इब्टाई डिक्री से कताई डिक्री से व अंतरिम (दरम्यानी आज्ञा) के विरुद्ध अपील निगरानी क्रॉस ऑब्जेक्शन इत्यादी पेश करना। इसी मुख्यारनामा के आधार पर इसी न्यायालय या दूसरे न्यायालय में करना एवं सब पर अपने हस्ताक्षर करना व तस्दीक स्वीकार करना व इन्कमटेक्स, सेलटेक्स, एग्रीकल्चर इन्कमटेक्स व एस्टेट ड्यूटी के कानून के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य करना जो करदाता स्वयं करता हो इसके अलावा वकील साहब को मेरी/हमारी तरफ से सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार होगा जैसा कि मैं/हम खुद कर सकता हूं/सकते हैं व आखिरी न्यायालय तक जो कुछ भी कार्यवाही वकील साहब करेंगे सब मुझको/हमको स्वीकार होगा जैसा कि मैंने/हमने खुद को ही इस मुकद्दमे की पैराकारी के लिए रु. () अक्षरे तय किये हैं जिसमें से रु. () अदा कर दिये हैं व रु. () बाकी रहे सो दिन में या फैसले के पहले अदा कर दिये जायेंगे। निश्चित समय पर अदा न करन पर वकील साहब मुकद्दमे की पैरवी बिना मुझको/हमको नोटिस देकर छोड़ सकेंगे। यह रकम इसी अदालत से एक बार मुकद्दमे का निर्णय होने तक के लिए चाहे निर्णय न्याय से हो चाहे आपसी रजामन्दी से हो तय किया है फैसला रजामन्दी से या शपथ से होने पर भी तय शुदा रकम वकील साहब को लेने का हक होगा। मुकद्दमा इस न्यायालय से मुन्तकील होगा या अपील निगरानी वगैरा में जावेगा या रिमाण्ड हो तो इसके लिए इसी न्यायालय का या दूसरे न्यायालय का मेहनताना अलग से देना पड़ेगा हर पेशी पर मैं/हम या हमारा पैरोकार हाजिर रहेगा या अदम पैरवी या एक तरफा की जुम्मेवारी वकील साहब की नहीं होगी। वकील साहब की हिदायत अनुसार मैं/हम पैरवी करता रहूँगा/करते रहेंगे व न करने पर वकील साहब को मुकद्दमे की पैरवी छोड़ने का हक होगा परन्तु उस सूरत में तय शुदा रकम लेने का हक वकील साहब को होगा इस मुख्यारनामा का रुह से एक स ज्यादा वकील मुकर्रर किए जाने की सुरत में एक ही हाजरी काफी होगी अगर न्यायालय में मेरी रकम जमा होगी उसमें से वकील साहब को बकाया मेहनताना व दीगर खर्च जो वकील साहब मेरे मुकद्दमे का करेंगे अब्वल लेने का हक होगा व असली कागजात मुकद्दमे की फाईल बकाया रकम अदा किए बिना ले जाने का हक मेरा नहीं होगा। इल्तुआ पेशी एकतरफा मन्सुखी व दीगर दरम्यान खर्च जो न्यायालय से दिलाया जायेगा, वह तय शुदा रकम के अलावा वकील साहब का ही होगा इसमें मेरा/हमारा हमारा कोई ताल्लूक नहीं होगा। फक्त तारीख.....माह.....सन्.....

हस्ताक्षर वकील

हस्ताक्षर वकालत नामा देने वाले के